

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2018/ 384 दिनांक : 31/10/2018

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर/
अजमेर/बीकानेर (राजस्थान)।

विषय : नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के संबंध में।

--- :: '--- :: ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चिअ/एटी/प०41/2018/81 एवं 82 दिनांक 05.10.18 के द्वारा आपके अधीन संस्थानों में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है, पदस्थापित चिकित्सकों के कार्यग्रहण की सूचना ई-मेल आईडी atc.gaz@gmail.com पर हार्डकॉपी एवं सोफ्ट कॉपी में इकजाई तैयार कर दिनांक 06.11.18 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी नवनियुक्त चिकित्सक की कार्यग्रहण की सूचना के अभाव में नियुक्ति आदेश निरस्त होते हैं तो उसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2018/ 384

दिनांक : 31/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन नवनियुक्त चिकित्सकों की कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही संबंधित की ई-मेल आईडी पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।